

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

**2013 का अपराधिक विविध सं. 6335**

वर्ष 2020 के थाना कांड सं.-688 से उद्भूत थाना पटना शिकायत मामला जिला-पटना शिकायत मामला  
जिला-पटना

मो. नदीम की पत्नी शाजिया नाज, पुत्री-शमशाद अली निवासी-मोहल्ला-अमीन कॉलोनी, लोदी कटरा, पी. ओ.-झौगंज, थाना-खजेकलां, जिला-पटना, वर्तमान में, मोहल्ला-दहियावां के पीछे थाना-शहर, जिला-छापरा

.....याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. बिहार राज्य
2. मो. नदीम पुत्र मो. शमीमुद्दीन @ मो. शमीम
3. मो. शमीमुद्दीन स्व. मो. कमलुद्दीन
4. मो. शबाना खातून की पत्नी मो. शमीमुद्दीन
5. मो. एम. डी. के शमीर @ छोटू पुत्र शमीमुद्दीन
6. मो. की पत्नी रुखसार खातून पत्नी को समीर @छोटू 2-5 निवासी मोहल्ला- अमीन कॉलोनी, लोदी कटरा, पी. ओ.-झौगंज, थाना-खजेकलां, जिला- पटना हैं
7. परवेज अहमद नहीं पाया निवासी गुलशन हैदरी लाल मंदर के पास, पी. एस.-खजेकलां, पोस्ट- झौगंज, जिला- पटना
8. मो. अफजल नहीं पाया निवासी शाह की थाना-खजेकलां, पोस्ट- झौगंज, जिला- पटना

.....विपरीत पक्ष/पक्षों

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 407 - शिकायत मामले को पटना सिटी से छपरा स्थानांतरित करने की प्रार्थना - किसी आपराधिक मामले को राज्य के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित करने की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब (i) उचित और निष्पक्ष सुनवाई की कोई संभावना न हो वर्तमान स्थान पर; (ii) याचिकाकर्ता के जीवन को खतरे की स्पष्ट आशंका है; (iii) आरोपी व्यक्तियों की दबाव की रणनीति के कारण, गवाह गवाही देने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं और/या मुकर रहे हैं; और (iv) दूसरे पक्ष के खिलाफ कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा - आज तक, शिकायतकर्ता/याचिकाकर्ता की ओर से कोई सबूत नहीं भेजा गया है और इसलिए शत्रुतापूर्ण होने का कोई सवाल ही नहीं है - याचिकाकर्ता ने यह आरोप नहीं लगाया है कि पटना में उचित एवं निष्पक्ष सुनवाई की कोई संभावना नहीं है और याचिकाकर्ता यह दिखाने में सक्षम नहीं है कि उसके जीवन को खतरा है और/या गवाह विपरीत पक्ष के हाथों में हैं - इसके अलावा, जिला न्यायालय ने गवाहों से पूछताछ के आधार पर उसके पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भा.द.वि. और दहेज निषेध अधिनियम के तहत, संज्ञान लिया हालांकि उनमें से कुछ अलग-अलग स्थानों पर रहते हैं और याचिकाकर्ता और उसके पति के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं - याचिकाकर्ता की ओर से दायर वर्तमान स्थानांतरण से अपराधिक मामला के विपरीत पक्ष के लिए और अधिक समस्याएं पैदा होंगी और इस प्रकार, न्याय के दृष्टिकोण से, शिकायत मामले को उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, पटना सिटी, पटना की अदालत से, छपरा न्यायालय के सत्र प्रभाग के अधिकार क्षेत्र के भीतर में स्थानांतरित करना उचित नहीं होगा-याचिका बर्खास्त कर दिया गया है. (पैरा 16 से 20)

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

**2013 का अपराधिक विविध सं. 6335**

वर्ष 2020 के थाना कांड सं.-688 से उद्भूत थाना पटना शिकायत मामला जिला-पटना शिकायत मामला  
जिला-पटना

मो. नदीम की पत्नी शाजिया नाज, पुत्री-शमशाद अली निवासी-मोहल्ला-अमीन कॉलोनी, लोदी कटरा, पी. ओ.-झौगंज, थाना-खजेकलां, जिला-पटना, वर्तमान में, मोहल्ला-दहियावां के पीछे थाना-शहर, जिला-छापरा

.....याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. बिहार राज्य
2. मो. नदीम पुत्र मो. शमीमुद्दीन @ मो. शमीम
3. मो. शमीमुद्दीन स्व. मो. कमलुद्दीन
4. मो. शबाना खातून की पत्नी मो. शमीमुद्दीन
5. मो. एम. डी. के शमीर @ छोटू पुत्र शमीमुद्दीन
6. मो. की पत्नी रुखसार खातून पत्नी को समीर @छोटू 2-5 निवासी मोहल्ला- अमीन कॉलोनी, लोदी कटरा, पी. ओ.-झौगंज, थाना-खजेकलां, जिला- पटना हैं
7. परवेज अहमद नहीं पाया निवासी गुलशन हैदरी लाल मंदर के पास, पी. एस.-खजेकलां, पोस्ट- झौगंज, जिला- पटना
8. मो. अफजल नहीं पाया निवासी शाह की थाना-खजेकलां, पोस्ट- झौगंज, जिला- पटना

.....विपरीत पक्ष/पक्षों

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री विजय आनंद

राज्य के लिए:

श्री मो. मतलुब रब

उत्तरदाता सं. 2-8 के लिए:

श्री मो. अजीमुद्दीन

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा

न्याय और आदेश

सी.ए.वी

दिनांक **03-11-2023**

याचिकाकर्ता, जो विरोधी पक्ष संख्या 2 की पत्नी है, ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 407 के तहत, 2020 के शिकायत मामले संख्या 688 (सी) को संभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, पटना सिटी के अदालत से छपरा में सारण के किसी सत्र में स्थानांतरित करने के लिए इस अदालत के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया है।

**2.** याचिकाकर्ता-पत्नी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए/323/341/307/120 बी/34 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपने पति और अपने पति के पूरे परिवार के सदस्यों के खिलाफ शिकायत का मामला 25.11.2020 को दर्ज किया गया था, जो इसमें विरोधी पक्ष संख्या 02 से 08 तक हैं।

**3.** मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स यह है कि याचिकाकर्ता-पत्नी और विरोधी पक्ष सं. 2/पति के बीच विवाह मुस्लिम संस्कारों के अनुसार 27.03.2018 को किया गया था। शिकायतकर्ता-पत्नी का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद उसके ससुराल वालों का व्यवहार बदल गया और वे दहेज के रूप रु. 5 लाख एवं एक ऑल्टो कार की मांग शुरू की। उक्त मांग को पूरा न करने के कारण, उसे यातना और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। यह शिकायतकर्ता-पत्नी का आगे का मामला है कि जब वह गर्भवती थी तो उसे उसके पैतृक घर भेज दिया गया था, जहाँ उसने 04.02.2020 को एक लड़की को जन्म दिया और अपने वैवाहिक घर वापस लौटने पर, उसके पति के साथ-साथ उसके ससुराल वालों ने फिर से दहेज की मांग करना शुरू कर दिया और अंत में, 29.02.2020 को, उसे उसके वैवाहिक घर से निकाल दिया गया।

**4.** जब याचिकाकर्ता-पत्नी के परिवार के सदस्यों और शुभचिंतकों द्वारा मामले को निपटाने के लिए उठाए गए कदम विफल हो गए, तो शिकायतकर्ता-पत्नी ने 25.11.2020 को वर्तमान शिकायत याचिका दायर की।

**5.** विद्वान जिला न्यायालय ने, जाँच गवाहों के बयान के आधार पर, दिनांक 09.03.2021 के आदेश द्वारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 323/498-A/34 और उसके पति और उसके ससुराल वालों के खिलाफ दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लिया।

**6.** विपक्षी पक्ष नं. 2/पति ने 2021 की आपराधिक विविध संख्या 59685 करने वाले पर अग्रिम जमानत याचिका 27.09.2021 को दायर की, और 10.11.2022 दिनांकित आदेश द्वारा, विपक्षी पक्ष No.2/पति को इस शर्त पर अग्रिम जमानत दी गई कि वह रु। 3, 500/- प्रति माह याचिकाकर्ता-पत्नी को भरण-पोषण राशि के रूप में देगा।

**7.** 2021 की आपराधिक विविध संख्या 59685 के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता-पत्नी ने वर्तमान शिकायत मामले के हस्तांतरण के लिए 2022 की आपराधिक विविध संख्या 18161 को 07.04.2022 को दायर किया, लेकिन याचिकाकर्ता-पत्नी ने पक्षों के बीच हुए समझौते के कारण स्थानांतरण याचिका वापस ले ली और याचिकाकर्ता-पत्नी को उसके वैवाहिक घर ले जाया गया, लेकिन फिर कुछ समय पश्चात् उस पर हमला किया गया और उसे उसके वैवाहिक घर से बाहर कर दिया गया।

**8.** याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जब याचिकाकर्ता-पत्नी को उसके वैवाहिक घर से बेदखल किया गया था, तो वह दरगाह रोड, सुल्तानगंज, पटना सिटी (पटना जिले में) में रह रही थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण, याचिकाकर्ता-पत्नी का अपनी एकमात्र बेटी के साथ जीवित रहना असंभव हो गया और इस तरह, उसके पिता ने उसे ले लिया और वर्तमान में, वह अपनी शिशु बेटी के साथ दहियावां, छपरा में अपने माता-पिता के घर में रह रही है।

**9.** विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर दो मामले हैं जो पक्षों के बीच लंबित हैं। एक 2022 का रखरखाव मामला संख्या 140 है, जो छपरा में परिवार न्यायालय सरन के विद्वान प्रधान न्यायाधीश के समक्ष लंबित है, जबकि दूसरा वर्तमान

शिकायत मामला है, जो पटना सीटी के पटना उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है, और याचिकाकर्ता-पत्नी के लिए यात्रा करना और पटना में मामले को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है, जो छपरा से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है और कोई सीधा रेल मार्ग नहीं है।

**10.** इसके अलावा, याचिकाकर्ता के पिता को छोड़कर, याचिकाकर्ता-पत्नी या उसके बच्चे की देखभाल करने के लिए कोई अन्य व्यक्ति नहीं है और याचिकाकर्ता के पिता आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के एजेंट हैं और विशुद्ध रूप से निजी आधार पर काम करते हैं। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के लिए अपने शिकायत मामले में उचित पैरवी के लिए पटना के अदालत में उपस्थित होने के लिए अपने बच्चे के साथ पटना आना बहुत मुश्किल है।

**11.** विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करता है कि विरोधी पक्ष नंबर 2-पति नेल्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फ्रेजर रोड, डाकबांगलो रोड, पटना में एक लेखा परीक्षक के रूप में काम कर रहा है और प्रति माह रु. 50,000/- से अधिक कमा रहा है।

**12.** दूसरी ओर, विरोधी पक्ष संख्या 2 से 8 के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता ने यह शिकायत मामला केवल अपने पति और उसके परिवार के सदस्यों को परेशान करने के लिए दायर किया है। वर्तमान शिकायत मामले में पति के पूरे परिवार के सदस्यों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें उनमें से कुछ को याचिकाकर्ता और/या विरोधी पक्ष संख्या 2 के मामलों से कोई लेना-देना नहीं है। इसके बाद वह प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता को अपने पति और/या अपने पति के परिवार के अन्य सदस्यों को सूचित किए बिना पटना से छपरा भागने की आदत है। याचिकाकर्ता को वापस लाने के लिए पति-विरोधी पक्ष संख्या 2 द्वारा किए गए पहले के प्रयास व्यर्थ गए क्योंकि याचिकाकर्ता शादी के समय से ही विरोधी पक्ष संख्या 2 के परिवार के सदस्यों के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि विरोधी पक्ष संख्या 2 अपने माता-पिता की देखभाल करने के लिए पटना में रहने वाला एकमात्र व्यक्ति है। पति-विरोधी पक्ष संख्या 2 ने हमेशा याचिकाकर्ता को रखने की कोशिश की थी और अभी भी तैयार है, लेकिन याचिकाकर्ता ने हमेशा विरोधी पक्ष संख्या 2 और उसके परिवार के सदस्यों के साथ दुराचार और दुर्यवहार किया था, जिसके लिए 2020 की सूचना याचिका संख्या 795, 02.06.2020 को ही दायर की गई है।

**13.** इस आरोप का खंडन करने के लिए कि पत्नी को उसके गर्भावस्था के समय उसके वैवाहिक घर से बेदखल कर दिया गया था और उसने अपने वैवाहिक घर में बच्चे को जन्म

नहीं दिया था, पति-विरोधी पक्ष संख्या 2 ने जवाबी हलफनामे में कुछ तस्वीरें संलग्न की हैं, जिसमें दिखाया गया है कि याचिकाकर्ता-पत्नी की बेटी का जन्म समारोह उसके वैवाहिक घर में आयोजित किया गया था। वह आगे प्रस्तुत करता है कि बच्चे का जन्म मोना हसन क्लिनिक, नाला रोड, पटना में हुआ था और खर्च विरोधी पक्ष नंबर 2- पति और उनकी कंपनी द्वारा वहन किया गया था।

**14.** विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करता है कि विरोधी पक्ष संख्या 2 एक निजी कंपनी में एक सर्वेक्षणकर्ता है और केवल रु 20,000/- प्रति माह प्राप्त करता है याचिकाकर्ता-पत्नी द्वारा दायर शिकायत मामले में निर्धारित प्रत्येक तिथि पर छुट्टी लेना उसके लिए मुश्किल होगा। वह आगे प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता के ससुर और सास, विरोधी पक्ष संख्या 3 और 4, वृद्ध व्यक्ति हैं, जो आयु संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि वर्तमान में भी, याचिकाकर्ता पटना में रह रही है और केवल उन्हें परेशान करने के लिए, उसने यह स्थानांतरण याचिका दायर की है।

**15.** मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया है।

**16.** राज्य के भीतर आपराधिक मामले का हस्तांतरण केवल तभी अनुमत है जब (i) वर्तमान स्थान पर उचित और निष्पक्ष सुनवाई करने की कोई संभावना नहीं है; (ii) याचिकाकर्ता के जीवन के लिए खतरे की आशंका स्पष्ट रूप से दिखाई देती है; ((iii) गवाह गवाही देने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं और/या अभियुक्त के दबाव की रणनीति के कारण शत्रुतापूर्ण रुख अपना रहे हैं; और (iv) दूसरे पक्ष के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया जाएगा।

**17.** अभिलेख पर सामग्री के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आज तक, शिकायतकर्ता/याचिकाकर्ता द्वारा कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है और इस तरह, शत्रुतापूर्ण होने का कोई सवाल ही नहीं है। यह आगे प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने पटना में उचित और निष्पक्ष मुकदमे की गैर-संभावना के बारे में कुछ भी आरोप नहीं लगाया है। याचिकाकर्ता यह भी नहीं दिखा पाया है कि याचिकाकर्ता और/या उसके गवाहों के जीवन को विरोधी पक्ष संख्या 2 से 8 के हाथों कोई खतरा है।

**18.** तदनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा लिए गए आधार उसके द्वारा पटना से सारण के सत्र प्रभाग, छापरा में दायर शिकायत मामले को स्थानांतरित करने के लिए ऊपर उल्लिखित चार मानदंडों में से किसी में नहीं आते हैं।

**19.** रिकॉर्ड से आगे यह प्रतीत होता है कि विद्वान जिला न्यायालय ने जाँच के गवाहों के बयान के आधार पर, 09.03.2021 को, भारतीय दंड संहिता की धारा 323/498-ए/34 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया के कुल सात परिवार के सदस्यों के खिलाफ है। हालाँकि उनमें से कुछ अलग-अलग स्थानों पर रहते हैं और याचिकाकर्ता-पत्नी और विरोधी पक्ष नंबर 2-पति के मामलों में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है, हालाँकि उन्हें वर्तमान मामले में आरोपी बनाया गया है। होल्डिंग कर की रसीद से यह भी पता चलता है कि याचिकाकर्ता-पत्नी का पटना में एक घर है।

**20.** उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं दायर किए गए वर्तमान आपराधिक मामले के हस्तांतरण से विरोधी पक्ष संख्या 2 से 8 को अधिक कठिनाई होगी और इस प्रकार, न्याय के उद्देश्यों के लिए, 2020 के शिकायत मामले संख्या 688 (सी) को पटना सिटी पटना के विद्वान उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से छपरा में सारण के सत्र प्रभाग के भीतर किसी भी न्यायालय में स्थानांतरित करना समीचीन नहीं होगा।

**21.** तदनुसार, मुझे इस आवेदन में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की कोई योग्यता नहीं मिलती है।

**22.** नतीजतन, यह आवेदन खारिज कर दिया जाता है। **23.** लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

(अनिल कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

प्रभाकर आनंद

**खण्डन (डिस्क्लेमर):-** स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।